वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2001–2002

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट

भूमिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में सुधारों को लागू किये जाने के उद्येश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन दिनांक 10 सितम्बर 1998 को उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2813.पी–1/98–24 द्वारा किया गया था। चूँ कि उस समय प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम लागू नहीं था, अतः उत्तर प्रदेश विद्युत आयोग का गठन केन्द्र सरकार के विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 तथा धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन किया गया। बाद में दिनांक 7 जुलाई 1999 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1999) अधिसूचना संख्या 1285/सत्रह–वि–1–1 (क) 12/1999 दिनांक 7 जुलाई 1999 द्वारा अधिसूचित करने तथा अधिसूचना संख्या 148/पी–1/2000–24 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2000 से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित किया गया।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 44(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विदित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें आयोग द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी। यद्यपि राज्य शासन द्वारा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट हेतु कोई प्रपत्र तथा उसके प्रस्तुत किये जाने के लिये उक्त धारा के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है तथापि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत हैः

1. <u>अधिष्ठान सम्बन्धी विवरण</u>

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में श्री जे0एल0बजाज, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर तथा सदस्यों के रूप में सर्वश्री एस0सी0ढींगरा तथा अरूण सरकार कार्यरत रहे। आयोग के सचिव के पद पर उक्त वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) सम्वर्ग के श्री अनूप वधावन दिनांक 12.08.2001 तक तथा वर्ष की शेष अवधि में उक्त आई0ए0एस0 संवर्ग के ही श्री राजीव कपूर आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। आयोग द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कार्मिको के सहयोग से विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित किसान मंडी भवन में स्थापित अपने कार्यालय के माध्यम से अपने कार्यो का निस्तारण सुचारू रूप से किया।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में सृजित अधीनस्थ पदों का विवरण निम्न प्रकार है :

1. अधिकारी श्रेणी	–	19 पद
2. तृतीय श्रेणी	–	24 पद
3. चतुर्थ श्रेणी	–	12 पद
कुल		55 पद

सचिव को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2001–2002 में आयोग में कुल सृजित पदों की संख्या 56 थी जिसके सापेक्ष विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तथा आयोग द्वारा अनुबंध के माध्यम एवं सीधी भर्ती अथवा एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त अधिकारी सम्वर्ग के 13, तृतीय श्रेणी के 14 तथा चतुर्थ श्रेणी के 11 कर्मचारी कार्यरत रहे। इस प्रकार

सचिव के पद को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2001–2002 में आयोग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 39 थी।

2. <u>बजट/आय व्यय :</u>

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 42 में निहित प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उद्येश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि को अधिनियम में अंकित कार्यो तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु व्यय करने का अधिकार आयोग को जैसा वह उचित समझे है। उक्त धारा में यह भी प्राविधान है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाला व्यय भारित होगा। आयोग तथा शासन के मध्य सहमति के आधार पर शासन द्वारा अपने वार्षिक आय–व्ययक (बजट) में आयोग के निमित्त एक मुश्त धनराशि का प्राविधान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये शासन द्वारा आयोग के लिये रू 3.85 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था। आयोग ने अपने पत्र दिनांक 13 मार्च 2002 द्वारा फीस एवं फाइन्स तथा अन्य विधिवत स्त्रोंतो से उक्त दिनांक तक प्राप्त कुल धनराशि रू0 2,89,80,587 शासन को समर्पित की थी। शासनादेश संख्या 234/प्रकोष्ठ दिनांक 27.11.2000 के अन्तर्गत शासन द्वारा पत्र संख्या 3199 पी–1/2001 –24 दिनांक 13.11.2001 के माध्यम से पूर्व वित्तीय वर्ष 2000–2001 की असमायोजित अवशेष धनराशि रू 1,51,58,592 तथा पत्र संख्या115पी–1/ 2002–24–6626/ एस0पी0/95 टी0सी0 दिनांक 26 मार्च 2002 के माध्यम से रू0 2,33,41,408 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–02 में शासन ने कुल रू0 3,85,00,000 (रू 1,51,58,592 + रू0 2,33,41,408) की धनराशि आयोग को स्वीकृत करते हुये

अवशेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित करने का आदेश प्रदान किया था।

अनुमोदित आय व्यय लेखा के अनुसार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत अनुदान के विरूद्ध रू0 1,55,74,759 का व्यय हुआ। आयोग द्वारा अनुमोदित बेलेन्स शीट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001–2002 की समाप्ति पर रू0 7,22,23,908 की धनराशि अवशेष थी जिसमें सुगम योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.11.2001 को एक वर्ष की अवधि हेतु करायी गयी रू0 5.00 करोड़ की फिक्स्ड डिपाजिट भी सम्मिलित थी।

उपर्युक्त आय व्यय से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2001–2002 का वार्षिक लेखा जोखा उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3. <u>अनुज्ञप्तिधारियों के लिये फुटकर विद्युत दरों (टैरिफ) का निर्धारण</u>

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 24 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के स्तर पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिये फुटकर विद्युत दरों के निर्धारण का कार्य आयोग को सौंपा गया है। इस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के उद्येश्य से आयोग द्वारा अधिसूचित कार्य संचालन विनियमावली में टैरिफ निर्धारण सम्बन्धी बिन्दु भी सम्मिलित किये गये हैं। प्रदेश के तीन अनुज्ञप्तिधारियों मैसर्स यू0पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0) मैसर्स नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड (एन0पी0सी0एल0) तथा मैसर्स कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये विद्युत दरों के निर्धारण हेतु अपनी याचिकायें (पिटीशन) आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2001–2002 में प्रस्तुत की थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत इन याचिकाओं में वांछित सूचनायें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी तथा आयोग के पर्याप्त प्रयासोपरान्त भी अनुज्ञप्तिधारी वांछित सूचनायें आंशिक

रूप से उपलब्ध कराने में समर्थ रहे। इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये विस्तृत निर्देश देते हुये इस महत्वपूर्ण विषय मे ंविलम्ब करने के महत्व के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। टैरिफ याचिकाओं का व्यापक प्रचार पूरे प्रदेश में विभिन्न समाचार पत्रों एवं वैब साइट के माध्यमों से किया गया। टैरिफ याचिकाओं के व्यापक प्रचारोपरांत उन पर आपत्तियाँ /सुझाव आमंत्रित किये गये। टैरिफ याचिकाओं पर दिनांक 27.6.2001 को नोएडा में, दिनांक 28.06.2001 को हाथरस में दिनांक 17 तथा 18.07.2001 को लखनऊ में दिनांक 24.07.2001 को गाजियाबाद में दिनांक 30.07.2001 को कानपुर में तथा दिनांक 10.08.2001 को पुनः लखनऊ में लोक सुनवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिकर्ताओं को भी आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। पूर्व में गठित विद्युत सलाहकार समिति के भी विचार प्राप्त किये गये। साथ ही टैरिफ याचिकाओं के निस्तारण हेतु मैसर्स टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीटयूट को अधिनियम की धारा 8(4) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत परामर्शदात्री के रूप में नियुक्त किया गया।

सभी इच्छुक पक्षों को सुनने के उपरांत तथा वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आयोग द्वारा दिनांक 1.9.2001 को वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये अपना टैरिफ आदेश पारित किया गया। इस आदेश में विद्युत दरों के निर्धारण के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये जिनके अनुपालन का अनुश्रवण किया जा रहा है। विद्युत दर निर्धारण आदेश की मुख्य विशेषतायें निम्नवत हैः

(i) <u>बहुवर्षीय दक्षता लक्ष्य :</u> वर्ष 2000–2001 के टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को कामर्शियल तथा नॉन कामर्शियल हानियों में कमी लाने एवं वसूली को बढ़ाने के लिये एक कार्य योजना दी गयी थी। उसी

सन्दर्भ में वर्ष 2001–2002 के लिये एक नया मापदंड प्रतिपादित किया गया। विद्युत की हानियों की विषमता को संज्ञान में लेते हुये आयोग द्वारा विद्युत क्रय तथा राजस्व वसूली के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी की दक्षता का मापदंड निर्धारित किया गया और एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी,जिसमें वर्ष 2001 से वर्ष 2006 तक के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

(ii) द्विभागीय टैरिफ ढांचाः दक्षता, मितव्ययिता तथा समानता (इक्विलिटी) के उद्वेश्य की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा द्विभागीय टैरिफ ढांचा तैयार किया गया जिसके आधार पर विद्युत प्रभार के साथ नियत प्रभार भी प्रायः प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये लागू किया गया। इस व्यवस्था से अनुज्ञप्तिधारी को लगभग 25% नियत दायित्व की प्रतिपूर्ति सम्भव हो सकेगी तथा उपभोक्ता भी यह विकल्प दिया गया कि उन्हें प्रत्येक दशा में अनुज्ञप्तिधारी के कुल व्यय का एक निश्चित अंश प्रत्येक दशा में व्यय भार के रूप में वहन करना ही होगा।

(iii) के0वी0ए0एच0टैरिफः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये 100 के हार्स पावर से अधिक के वृहद एवं भारी शक्ति उपभोक्ता,रेलवे ट्र`क्शन तथा लिफ्ट इरिगेशन कार्यो के संयोजनों की बिलिंग विद्युत खपत के एनर्जी चार्ज के0वी0एच0 के आधार पर किये जाने की संरचना की। टैरिफ की ऐसी संरचना का उद्धेश्य लाइन हानियों में कमी लाने एवं विद्युत व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को यह प्रलोभन देना था कि वह अपना पावर फैक्टर विकसित कर अपने विद्युत उपभोग में होने वाली विद्युत की मात्रा में आने वाली कमी का लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सके। साथ ही आयोग द्वारा विद्युत दरें प्रत्येक वोल्टेज स्तर के लिये अलग अलग कर उपभोक्ताओं को यह सन्देश देने का प्रयास किया कि उच्च कीमत पर विद्युत को प्राप्त करने से उन्हें अपेक्षाकृत कम दरों पर विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी।

(iv) विद्युत दरों में संशोधनों के साथ साथ आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ताओं को अन्य विभिन्न निर्देश भी पारित किये जिनका विस्तृत विवरण टैरिफ आदेशों में उल्लिखित है। इनका मूल उद्येश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशैली को विकसित करना तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करना था। साथ ही आयोग द्वारा भारत सरकार, राज्य शासन तथा पावर कारपोरेशन द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक दिसम्बर 31, 2002 तक समस्त उपभोक्ताओं के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु कार्य योजना को संज्ञान में लेते हुये ऐसी विद्युत दर सूची के लिये भी मीटर सहित दरों का स्थापन्न प्राविधान किया गया, जिनमें विगत में मात्र मीटर रहित दरें ही निर्धारित की गयी थीं।

4. <u>बगास (रवोई) आधारित सहविद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध के प्रारूप का निर्धारणः</u>

उत्तर प्रदेश में गन्ने की रवोई से विद्युत उत्पादन हेतु 1400 मेगावाट की क्षमता विभिन्न चीनी मिलों के पास उपलब्ध है, जिसमें कुछ भाग ऐसे चीनी मिलों की अपनी आवश्यकता से अधिक है। रवोई से विद्युत उत्पादन के अनेक सामाजिक एवं वाणिज्यिक लाभ हैं तथा यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्त्रोत है। आयोग द्वारा चीनी मिलों द्वारा रवोई से विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित करने से न केवल उनके द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाया है वहीं उनके द्वारा उत्पादित उनकी आवश्यकता से अधिक विद्युत की क्रय पावर कारपोरेशन द्वारा किये जाने हेतु वर्ष 2000–2001 में दिशा निर्देश निर्गत किये थे। इसी क्रम में चीनी उद्यमियों को उनके उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा की क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किये जाने के उद्येश्य से इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया को और भी अधिक उदार बनाते हुये आयोग द्वारा

एक आदर्श क्रय अनुबंध का अनुमोदन विभिन्न चीनी उत्पादकों से परामर्श करने के उपरांत किया गया है।

5. <u>गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा निर्देश</u>

गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से आयोग द्वारा ऐसे विकासकर्ताओं के स्तर पर आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं साथ ही इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया है। उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाये इसके लिये विद्युत क्रय अनुबन्ध का प्रारूप भी संलग्न किया गया है जिससे ऐसे विकासकर्ताओं को उनके द्वारा गैर परम्परागत स्त्रोंतो से उत्पादित विद्युत की क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अल्प समय में सम्पादित की जा सके।

6. <u>विद्युत भार पूर्वानुमान (लोड फोरकास्ट) , रिसोर्स प्लान तथा विद्युत क्रय योजना निर्धारण</u>

आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक जनवरी 30, 2002 द्वारा उक्त दिशा–निर्देश जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । लाइसेंसधारी एवं राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा इन दिशा–निर्देशों का अनुसरण,

(क) अपने प्रदाय /पारेषण क्षेत्र के भीतर विद्युत की मांग का पूर्वानुमान करते समय,

(ख) अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये संसाधन योजनाओं और स्कीमों को बनाते समय, और

(ग) विद्युत क्रय के लिये प्रस्तावों को बनाते समय,
किया जायेगा।

इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन से ऐसी अपेक्षा है कि प्रदेशवासियों को विश्वसनीय एवं अधिक गुणवत्ता वाली विद्युत की उपलब्धता सम्भव हो सकेगी।

7. <u>अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राजस्व सम्बन्धी सम्पादित आंकड़ों की समीक्षा</u>

आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा राजस्व सम्बंधी आंकड़ों का सही आगणन किया जा रहा है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विद्युत हानियों के विवरण वस्तु स्थिति का सही चित्रण इसको सुनिश्चित करने के उद्येश्य से नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्युत वितरण में नोएडा क्षेत्र के तीनों खंडो विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम, विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय तथा विद्युत नगरीय वितरण खंड तृतीय, गाजियाबादके नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम गाजियाबाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्युत वितरण खंड उन्नाव सम्बंधित अभिलेखों की जाँ च बाहरी परामर्शदात्री फर्म के माध्यम से करायी गयी थी। इस अध्ययन के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आये वै चौकाने वाले थे जो यह प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त आधार हैं कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा न केवल राजस्व निर्धारण से सम्बन्धित आंकड़ों को कम करके प्रदर्शित किया जाता है जिससे स्वभाविक है कि राजस्व वसूली का जो प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता विवरण के माध्यम से विद्युत की फुटकर दरों के निर्धारण के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाते हैं वह वास्तविक से कहीं कम हैं । यही नहीं कम्प्यूटर बिलिंग सम्न्धी जो आंकड़े कम्पयूटर बिलिंग एजेंट से प्राप्त होते हैं उनके आधार पर राजस्व के निर्धारण सम्बंधी विवरण तैयार करते समय आंकड़ों का आधार सही माध्यम से नहीं लिया जाता, जिससे राजस्व विवरण तथा उपभोक्ताओं के खातों में प्रदर्शित अवशेषों में भारी अंतर पाया जाना स्वाभाविक है।

विद्युत हानियों को कम दर्शाये जाने के उद्येश्य से क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा वास्तविक विक्रय किये गये यूनिट्स का आगणन काल्पनिक वृद्धि दर्शाकर अधिक दर्शाया जाता है, जिससे वस्तु स्थिति का सही आंकलन नहीं हो पाता है। साथ ही राजस्व निर्धारण की धनराशि के वास्तविक निर्धारण से कम दर्शाये जाने तथा वास्तविक विक्रय की गयी यूनिट्स की मात्रा को अधिक दर्शाये जाने पर न केवल श्रेणीवार प्रति यूनिट विक्रय दर कम आती है, वरन् सकल दर भी निम्न स्तर पर परिलक्षित होती है, जिससे वस्तु स्थिति का सही चित्रण नहीं हो पाता है।

8. विद्युत आपूर्ति संहिता का निर्धारण

आयोग द्वारा प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा रही विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तो एवं व्यवस्था का उल्लेख पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियमावली 1984 में है, जिसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत किया हुआ है। विद्युत सुधारों के क्रियान्वयन तथा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आत्मसात किये जाने के फलस्वरूप इन 17 वर्ष पूर्व निर्गत नियमों में अनेकानेक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों से उनके द्वारा पोषित उपभोक्ताओं के सम्बंध में अपनायी जाने वाली विनियमावली का आलेख प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों तथा उन पर समुचित प्रचार के माध्यम से विभिन्न स्तरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दिनांक 14.01.2002 को विद्युत आपूर्ति संहिता (डिस्ट्रीब्यूशन कोड) का आलेख आयोग द्वारा निर्गत किया गया।

विद्युत वितरण संहिता –2002 में अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेन्सी) और उपभोक्ता दोनों की परस्पर बाध्यताओं का विस्तृत विवरण है। यह उन प्रक्रियाओं का विस्तृत समूह है जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रभावी,

लागत में सार्थक तथा मित्रतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने में प्रयोग किया जाना चाहिये। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है

(क) कनेक्शन देने, कनेक्शन काटने, पुनः कनेक्शन देने, लोड निर्धारित करना और भार को घटाने/बढ़ाने की प्रक्रिया।

(ख) बिलों के भुगतान और उपभोक्ताओं के मीटरों से सम्बन्धित प्रक्रिया।

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों के लिये कार्य करने के मापदण्ड ।

(घ) उपभोक्ताओं के शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया ।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता –2002 में आपूर्ति प्रणाली और उपभोक्ताओं के वर्गीकरण के साथ–साथ आपूर्ति स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। संहिता में आपूर्ति प्रणाली, आपूर्ति का वर्गीकरण, विद्युत घटकों का विश्लेषण, भार संतुलन, उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, आपूर्ति के लिये प्रभार, सांविधिक उद्‌गृहण का विस्तृत विवरण है। आपूर्ति स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया को इस कोड में लाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति की बाध्यता, वितरण प्रणाली को विस्तृत करने में अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता एवं इसके लागत में उपभोक्ता की हिस्सेदारी, आपूर्ति हेतु आवेदन, 25 किलावॉट तक के भारों के लिये जहाँ वितरण मेन 0.9 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध है का विस्तृत विवरण दिया गया है। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी, अस्थायी आपूर्ति के लिये आवेदन, तत्काल योजना, आपूर्ति की सामान्य शर्तें, संयोजित भार, एम डी आई रहित एल टी उपभोक्ता, एम डी आई सहित एल टी उपभोक्ता और एच टी और ई एच टी उपभोक्ता, अनुबन्ध, एस्टीमेट, आपूर्ति का बिन्दु, कनेक्शन, पुनः कनेक्शन और विच्छेदन आदि के लिये प्रभार, पंजीकरण एवं प्रक्रिया शुल्क, सिक्योरिटी डिपाजिट, नये कनेक्शन/लोड में वृद्धि पर सर्विसिंग की लागत, प्रभारों के भुगतान की रीति, उपभोक्ता के भवन में वायरिंग, ए सी मोटरों की

व्यवस्थापना, सिंचाई/कृषि हेतु पम्पसेट की स्थापना, अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ साथ समानान्तर व्यवस्था का परिचालन, प्रोटेक्टिव लोड, सर्विस लाइन और उपकरणों के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध, उपभोक्ता के भवन (गृह परिसर) तक पहुंच, स्थितियाँ जिनमें आपूर्ति नहीं की जायेगी, स्थितियाँ जिनमें आपूर्ति काटी जा सकती है, अस्थायी विच्छेदन, स्थायी विच्छेदन, कनेक्शन को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया, संविदा भार में कमी करना, भार बढ़ाने हेतु प्रक्रिया सार्वजनिक प्रकाश के लिये तथा सार्वजनिक प्रकाश के अतिरिक्त अन्य मामलों में, कनेक्शन अन्तरण और नामों का परिवर्तन, ऊर्जा का पुनः विक्रय का उल्लेख किया गया है। इस कोड में मीटर से सम्बन्धित सूचना और मीटरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश डाला गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि नये कनेक्शन में किस प्रकार के मीटर की आवश्यकता होगी। मीटरों का परीक्षण, सेवामुक्त मीटर, मीटर रिकार्ड न कर रहा हो तथा जले हुये मीटर आदि के सम्बन्ध में उपभोक्ता की जानकारी के लिये विस्तृत निर्देश/सूचना का समावेश संहिता में है। खोये हुये मीटरों के बारे में शिकायत सुनने, ऐसे मामलों में आपूर्ति, नये मीटर की स्थापना आदि का भी इसमें विस्तृत वर्णन है।

विद्युत संहिता में " बिलिंग" की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण एक अलग अध्याय में किया गया है। इसके अलावा सेवा के मानक और उपभोक्ता के शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया का भी इस संहिता में उल्लेख है।

विद्युत संहिता में निम्न विभिन्न प्रकार के आवेदन प्रपत्रों का प्रारूप दिया गया है जो कि उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों के लिये उपयोगी है।

(1) ऊर्जा के आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र।

(2) कार्य (विद्युत संयोजन) पूर्ति आवेदन पत्र एवं परीक्षण परिणामों का प्रारूप।

(3) ऊर्जा की अस्थायी आपूर्ति की मांग हेतु आवेदन पत्र।

(4) कनेक्शन कटवाने के आवेदन का प्रारूप।

(5) अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना का प्रारूप।

(6) आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना का प्रारूप।

(7) संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने हेतु आवेदन पत्र।

(8) कनेक्शन के अन्तरण /नामांकन हेतु प्रारूप।

(9) मीटर से सम्बन्धित शिकायतें या मीटर का परीक्षण।

(10) अग्रिम भुगतान के आवेदन का प्रारूप।

(11) अधिशासी अभियन्ता से शिकायत का प्रारूप।

संहिता में विद्युत बिल से सम्बन्धित शिकायत अपील कमेटी के समक्ष ले जाने की प्रक्रि या का उल्लेख है।

विद्युत आपूर्ति संहिता के आलेख की प्रतियाँ अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य सरकार एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं के साथ साथ जिलाधिकारियों, जिलापरिषद के अध्यक्षों को भेजी गयी हैं। आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया गया है। विद्युत आपूर्ति संहिता पर जन सामान्य से प्राप्त विचारों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि समस्त बिन्दुओं को संज्ञान में लिये जाने के उपरांत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये सभी अनुज्ञप्तिधारियों का समान रूप से पालन किये जाने के उद्येश्य से इसे निर्गत किया जा सके।

उपभोक्ताओं से इन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान करते समय प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि का निर्धारण तथा अन्य ऐसे अनेक बिन्दु हैं जिनका

समावेश विद्युत आपूर्ति संहिता में किया जाना आवश्यक है आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति कर ली है तथा शीघ्र ही विद्युत सलाहकार समिति के साथ इस पर चर्चा कर इसे लागू किये जाने हेतु आयोग प्रयासरत है।

9. कैप्टिव जनरेशन तथा कोजनरेशन हेतु अनुमति :

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में आयोग द्वारा 99 आदेशों को लगभग 430 एम वी ए क्षमता के कैप्टिव उत्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त 33 आदेशकों को लगभग 495 एम वी ए क्षमता के कोजनरेशन के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने की स्वीकृति आयोग द्वारा प्रदान की गयी।

10. उत्तरांचल राज्य की स्थापना

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर उत्तरांचल राज्य की स्थापना दिनांक 9 नवम्बर 2000 को कर दी थी। उक्त उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अर्न्तगत नव सृजित उत्तरांचल प्रदेश में विद्युत के पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन ही बनाये रखने का प्राविधान किया गया था। एक वर्ष की अवधि में उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा अलग से पावर कारपोरेशन का गठन कर प्रदेश में विद्युत के पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति का कार्य उसे सौंपा जाना था। उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन का गठन कर उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर दिनांक 1 अप्रैल 2001 से उत्तरांचल राज्य के भौगौलिक क्षेत्र में कार्यरत विद्युत के पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति में संक्षिप्त इकाइयों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से अलग कर उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में सम्मिलित कर लिया था। यही कारण रहा कि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के

लिये वर्ष 2001–2002 के लिये विद्युत दरों का निर्धारण करते समय उत्तरांचल राज्य में स्थित इकाइयों को संज्ञान में नहीं लिया था। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत के पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति में उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में संक्षिप्त इकाइयों का औपचारिक स्थनांतरण दिनांक 9 नवम्बर 2001 से किया जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 8 नवम्बर 2001 तक ये इकाइयाँ भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन ही रहीं।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानानुसार उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा प्रथक रूप से उत्तरांचल में विद्युत नियामक आयोग का गठन किये जाने तक उत्तरांचल राज्य की इकाइयों के सम्बन्ध में भी समस्त कार्यो का सम्पादन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही किया जाना था। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड को लाइसेंस से एक वर्ष की अवधि के लिये छूट प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही तथा उन्हें दीर्घकालीन लाइसेंस प्रदान करने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही का सम्पादन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही किया गया।

11. सूचना तकनीक तथा प्रबंधकीय सूचना का अनुश्रवण

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में स्मार्ट आफिस एप्लीकेशन (एस.ओ. एस.) प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु मैसर्स माडर्न टेक्नोलाजी कम्पनी लिमिटेड, नोयडा से एक अनुबन्ध अगस्त 2000 में किया गया था। कम्पनी द्वारा अपने विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर आयोग की कार्य प्रणाली का अध्ययन कराया गया तथा अध्ययनोपरांत कम्पनी द्वारा सिस्टम रिक्यारमेंट सिस्टम (एस0आर0एस0) एवं तत्पश्चात सिस्टम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन (एस0डी0डी0) रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की थी जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। इन रिपोर्टस् के आधार पर कम्पनी द्वारा साफ्टवेयर विकास का कार्य प्रारम्भ किया

गया जो सम्प्रति पूर्ण होकर आयोग में कार्यान्वित किया जा चुका है जिससे आयोग की कार्यक्षमता में जहाँ एक तरफ वृद्धि हुई है वहीं कार्यो के त्वरित निस्तारण में सहायता मिल रही है।

प्रश्नगत पैकेज में निम्नलिखित कार्यो से सम्बन्धित साफ्टवेयर सम्मिलित हैं:

1. लाइसेंस प्रबन्धन
2. प्रशुल्क (टैरिफ) निर्धारण तथा विद्युत क्रय अनुबन्ध मूल्यांकन।
3. उपभोक्ता शिकायत प्रबन्धन
4. मानव संसाधन विकास प्रबन्धन
5. विधिक प्रबन्धन
6. वित्तीय प्रबन्धन
7. प्रकाशन एवं मैसेजिंग प्रक्रिया।
8. सूचना तकनीकी प्रबन्धन।
9. डाकूमेंन्ट प्रबन्धन प्रक्रिया।
10. प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रक्रिया।

सभी डाकूमेंट्स टैक्स्ट के रूप में जैसे आदेश, आपरेटिंग कोड, सुनवायी का विवरण, प्रशिक्षण साहित्य आदि को इन्ट्र ानेट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त एक वेबसाइट का भी सृजन किया गया है। जहाँ नियम, विनियमन, आपरेटिंग कोड्स, आदि जन सामान्य के लिये उपलब्ध हैं। सभी विकसित एप्लीकेशन। मोडूल्स/एस/डब्लू पैकेज को एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी के यहाँ मोडूल्स के स्थापना की भी कार्यवाही प्रस्तुत की जा रही है।

कम्पनी ने आयोग के इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित सी डी दिसम्बर 2002 में उपलब्ध करा दी थी।